झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–8बी. / भू.अ.नि. संथालपरगना–58 / 2016 ......863/रा, दिनांक - 16-12-16

विषय :– **संथाल परगना प्रमण्डल अंतर्गत देवघर जिला में अविक्रयशील रैयती कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारण करने के संबंध में।**

संथाल परगना प्रमण्डल के सभी जिलों की अविक्रयशील रैयती कृषि भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु प्रक्रिया विभागीय अधिसूचना संख्या–567, दिनांक–27.04.2016 अधिसूचित है। उक्त अधिसूचना के आलोक में आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका द्वारा प्रमण्डल अंतर्गत सभी जिलों (देवघर जिला छोड़कर) में उपज के आधार पर अविक्रयशील कृषि भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है।

2. देवघर जिला में झारखण्ड मुद्रांक (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) संशोधन नियमावली, 2015 के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या–1336, दिनांक–28.10.2015 (निरस्त) के पूर्व की गयी भू–अर्जन की कार्यवाही के आधार पर अधिकतम मूल्य प्रति एकड़ 17,38,100.00 रूपया है, तथा अधिसूचना संख्या–567, दिनांक–27.04.2016 के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तावित अविक्रयशील कृषि भूमि के मूल्य निर्धारण में उपज के आधार पर धानी–I का मूल्य 12,27,600.00 रूपये प्रति एकड़, धानी–II का मूल्य 920700.00 रूपये प्रति एकड़, धानी–III एवं बाड़ी–II का मूल्य 613800.00 रूपये प्रति एकड़, बाड़ी–I का मूल्य 767250.00 रूपये प्रति एकड़ एवं आवासीय भूमि का मूल्य 1227600.00 रूपये प्रति एकड़ गणना किया गया है, जो पूर्व में किये गये भू–अर्जन के दर से कम है।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या–567, दिनांक–27.04.2016 की कंडिका II (ङ) के बाद अंतिम कंडिका– "यदि किसी क्षेत्र में भू–अर्जन के अन्तर्गत भुगतान किया गया दर उपरोक्त वर्णित विधि से निर्धारित बाजार मूल्य से अधिक होगा, तो वैसे मामलों में संबंधित उपायुक्त प्रस्ताव तैयार कर प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजेंगे। तदोपरांत राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत अनुमोदन किया जा सकेगा।"

4. देवघर जिला में अविक्रयशील कृषि भूमि के मूल्य निर्धारण संबंधित उपायुक्त, देवघर से प्राप्त प्रतिवदेन के आधार पर देवघर सदर / देवीपुर अंचल के लिये समीपवर्ती अंचल के रूप में बिहार राज्य के चकाई अंचल के स्थान पर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद अंचल का चुनाव किया गया, क्योंकि समीपवर्ती बिहार राज्य के चकाई अंचल में कृषि भूमि के मूल्य काफी अधिक है एवं बेंगाबाद अंचल के चयन से सम्पूर्ण देवघर जिले में कृषि भूमि के मूल्य में एकरूपता बनी रहेगी। ऐसी परिस्थिति में राजस्व एवं निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के **अधिसूचना ज्ञापांक–567, दिनांक–27.04.2016** में दिये गये दिशा–निर्देश के आलोक में एवं दिनांक–**01.06.2016** को आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका की अध्यक्षता में हुई बैठक की अंतिम निर्णय के आधार पर देवघर जिला अंतर्गत सभी अंचलों के अविक्रयशील कृषि भूमि का मूल्य कृषि उपज के आधार पर निर्धारित दर अनुशंसा की गई है।

5. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–14.12.2016 के मद् संख्या–12 में दी गई स्वीकृति के आलोक में देवघर जिला के सभी अंचलों के अविक्रयशील कृषि भूमि का मूल्य उपायुक्त, देवघर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उपज के आधार पर निम्नप्रकार से निर्धारित किया जाता है –

कृ.पृ.उ.

E:\Sec 8\Sanlekh\Sanlekh 16 12 16.docx

धानी–I का मूल्य 12,27,600.00 रूपये प्रति एकड़,

धानी–II का मूल्य (धानी–I का ¾) 920700.00 रूपये प्रति एकड़,

धानी–III एवं बाड़ी–II का मूल्य (धानी–I का ½) 613800.00 रूपये प्रति एकड़,

बाड़ी–I का मूल्य (धानी–I का 5/8) 767250.00 रूपये प्रति एकड़ एवं

आवासीय भूमि का मूल्य 1227600.00 रूपये प्रति एकड़।

उक्त क्रम में भू–अर्जन हेतु निर्धारित दरों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए भू–अर्जन की प्रक्रिया को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाय तथा समुचित भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

16.12.16

(रमाशंकर)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– सं.सं–8बी. / भू.अ.नि. संथालपरगना–58 / 2016 ......863/नि.रा. दिनांक– 16-12-16

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका / उपायुक्त, देवघर / अपर समाहर्त्ता, देवघर / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.16

सरकार के उप सचिव